एक बार का निवेश

बनाये भविष्य के हर दिन को सुरक्षित

एलआईसी का

जीवन उत्सव

सिंगल प्रीमियम

प्लान सं.: 883 | यूआईएन: 512N392V01

एकल प्रीमियम का भुगतान करें

आजीवन जीवन बीमा का लाभ पायें

नियमित रूप से मनी बैक पायें
या चयनित विकल्प के अनुसार संचित करें

ऑनलाइन भी उपलब्ध

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

(एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, आजीवन बीमा योजना)

अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेन्ट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें www.licindia.in पर विजिट करें या आपके शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC/P1/2025-26/21/Hin/SB

जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम
(UIN: 512N392V01)
(असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, आजीवन बीमा योजना)

एलआईसी का जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, आजीवन बीमा योजना है। यह एक एकल प्रीमियम योजना है जिसमें गारंटीड अभिवृद्धि अवधि के दौरान गारंटीड अभिवृद्धि का उपार्जन होता है। प्रस्तावक द्वारा 7 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की गारंटीड अभिवृद्धि अवधि चुनी जा सकती है। यह योजना बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता और जीवित पॉलिसीधारक के लिए चयनित विकल्प के अनुसार नियमित आय हितलाभ या फ्लेक्सी आय हितलाभ के रूप में उत्तरजीविता हितलाभ प्रदान करती है। पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर परिपक्वता हितलाभ भी देय होता है।

यह एक असहभागी योजना है जिसके अंतर्गत मृत्यु होने या जीवित रहने पर मिलने वाले हितलाभ वास्तविक अनुभव के बावजूद गारंटीकृत हैं तथा निश्चित हैं। अत: यह पॉलिसी कोई विवेक आधारित हितलाभ जैसे कि बोनस आदि या अधिशेष राशि में हिस्सा नहीं प्रदान करती है।

यह योजना लाइसेंस प्राप्त एजेंटों, कॉर्पोरेट एजेंटों, दलालों, बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन और साथ ही निगम की वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है। तथापि, यह पॉइंट ऑफ़ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी–एसपीवी) के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।

संभावित पॉलिसीधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय उनके द्वारा इस उत्पाद की विशेषताओं, जिनमें संबद्ध जोखिम एवं हितलाभ शामिल हैं, का संदर्भ लिया जा सकता है और ऐसे उत्पाद/इस उत्पाद के अंतर्गत विकल्प चुने जा सकते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

1. मुख्य विशेषताएँ:

- एकल प्रीमियम के भुगतान पर आजीवन जीवन बीमा
- दो उत्तरजीविता हितलाभ विकल्प उपलब्ध हैं:
  - विकल्प I – नियमित आय हितलाभ
  - विकल्प II – फ्लेक्सी आय हितलाभ
- गारंटीकृत अभिवृद्धि अवधि के दौरान रु. 1000/– मूल बीमित राशि पर रु. 40 की दर से गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ
- परिपक्वता के समय या पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एकमुश्त भुगतान।
- उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रीमियम पर आकर्षक छूट।
- मौजूदा पॉलिसीधारक एवं मृतक पॉलिसीधारक के नामित/लाभार्थी के लिए छूट।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर राइडर्स का विकल्प चुनकर बीमासुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- ऋण सुविधा के ज़रिए नकदीकरण की ज़रूरतों की पूर्ति।

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध :

i.	गारंटीड अभिवृद्धि अवधि	7 वर्ष से 17 वर्ष	
ii.	प्रवेश की न्यूनतम आयु	**गारंटीड अभिवृद्धि अवधि (वर्षों में)**	**प्रवेश के समय न्यूनतम आयु (पूर्ण)**
		7	10 वर्ष
		8	9 वर्ष
		9	8 वर्ष
		10	7 वर्ष
		11	6 वर्ष
		12	5 वर्ष
		13	4 वर्ष
		14	3 वर्ष
		15	2 वर्ष
		16	1 वर्ष
		17	30 दिन
iii.	प्रवेश की अधिकतम आयु	65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)	
iv.	प्रथम नियमित आय हितलाभ/ फ्लेक्सी आय हितलाभ की देय तिथि पर न्यूनतम आयु	18 वर्ष (पूर्ण)	
v.	प्रीमियम भुगतान अवधि	एकल प्रीमियम	
vi.	परिपक्वता की आयु	100 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)	
vii.	पॉलिसी अवधि	(100 – प्रवेश के समय आयु) वर्ष	
viii.	न्यूनतम मूल बीमा राशि	रु.5,00,000/–	
ix.	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं, तथापि, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिमांकन नीति के अनुसार लिए गए जोखिमांकन निर्णय पर निर्भर करेगी।	
x.	मूल बीमा राशि गुणक	मूल बीमित राशि नीचे निर्दिष्ट राशियों के गुणकों में होगी:	
		मूल बीमा राशि की श्रेणी	**मूल बीमा राशि गुणक**
		रु. 5,00,000 से रु. 24,50,000	रु. 25,000
		रु. 24,50,000 से अधिक	रु. 50,000

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि: प्रवेश पर जीवन बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम होने के मामले में, इस योजना के अंतर्गत जोखिम या तो इस पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष बाद, या फिर 8 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद तुरंत या सन्निकट पॉलिसी वर्षगांठ से, जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। प्रवेश पर 8 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए जोखिम का प्रारंभ पॉलिसी जारी होने की तिथि से तुरंत हो जाएगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: यदि पॉलिसी अवयस्क व्यक्ति के जीवन पर

जारी की गई है, तो उसके 18 वर्ष की उम्र पूरी होने या उसके तुरंत बाद आनेवाली पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी अपने आप बीमित व्यक्ति के नाम पर निहित हो जाएगी और ऐसे निहित होने को निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच संविदा माना जाएगा।

3. हितलाभ:

देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ:

जोखिम आरंभ होने की तिथि के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धि के साथ **"मृत्यु पर बीमा राशि"** के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा।

"मृत्यु पर बीमा राशि" मूल बीमा राशि या सारणीबद्ध एकल प्रीमियम के 1.25 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित है।

"सारणीबद्ध एकल प्रीमियम" छूट या किसी भी अतिरिक्त जोखिमांकन की अनुमति देने से पहले बीमित व्यक्ति की आयु और गारंटीड अभिवृद्धि अवधि के आधार पर चुनी गई मूल बीमा राशि की प्रीमियम है, और इसमें कोई कर और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

विकल्प ।।– फ्लेक्सी आय हितलाभ के अंतर्गत, उपरोक्त के अतिरिक्त देय और निकाले न गए फ्लेक्सी आय हितलाभ(हितलाभों) का कोई भी संचित मूल्य भी देय होगा।

तथापि, बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने के मामले में, जिसकी प्रवेश पर आयु 8 वर्ष से कम है, जोखिम के प्रारंभ होने से पहले मृत्यु होने पर (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट है), देय मृत्यु लाभ प्रदत्त एकल प्रीमियम की ब्याजरहित वापसी होगा, जिसमें कर, कोई अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, का समावेश नहीं होगा।

बी. उत्तरजीविता हितलाभ:

चयनित उत्तरजीविता हितलाभ विकल्प के अनुसार नियमित आय हितलाभ या फ्लेक्सी आय हितलाभ के रूप में उत्तरजीविता हितलाभ निम्नानुसार होगा :

i. विकल्प । – नियमित आय हितलाभ

बीमित व्यक्ति की उत्तरजीविता पर, नीचे दी गई **तालिका–1** में निर्दिष्टानुसार वर्ष से शुरू होने वाले प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि के 10% के बराबर नियमित आय हितलाभ देय होगा। इन नियमित आय हितलाभों का भुगतान बीमित व्यक्ति के जीवित रहने तक या परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी की वर्षगाँठ तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा।

तालिका–1

गारंटीड अभिवृद्धि अवधि	नियमित आय हितलाभ/फ्लेक्सी आय हितलाभ आरंभ होने का वर्ष
7 वर्ष	8वाँ पॉलिसी वर्ष
8 वर्ष	9वाँ पॉलिसी वर्ष
9 वर्ष	10वाँ पॉलिसी वर्ष
10 वर्ष	11वाँ पॉलिसी वर्ष
11 वर्ष	12वाँ पॉलिसी वर्ष
12 वर्ष	13वाँ पॉलिसी वर्ष

13 वर्ष	14वाँ पॉलिसी वर्ष
14 वर्ष	15वाँ पॉलिसी वर्ष
15 वर्ष	16वाँ पॉलिसी वर्ष
16 वर्ष	17वाँ पॉलिसी वर्ष
17 वर्ष	18वाँ पॉलिसी वर्ष

ii. विकल्प ।। – फ्लेक्सी आय हितलाभ

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसीधारक ऊपर दी गई **तालिका–1** में निर्दिष्टानुसार वर्ष से आरंभ होने वाले प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि के 10% के बराबर फ्लेक्सी आय हितलाभ का पात्र होगा। इन फ्लेक्सी आय हितलाभों का भुगतान बीमित व्यक्ति के जीवित रहने तक या परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी की वर्षगाँठ तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा।

प्रत्येक फ्लेक्सी आय हितलाभ देय तिथि से लेकर निकासी या अभ्यर्पण या मृत्यु या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, पूर्ण महीनों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वाली 5.5% प्रति वर्ष की संचय दर पर आस्थगित और संचित होगा। संचित मूल्य की गणना के उद्देश्य से महीनों का अंश गणना में नहीं रखा जाएगा।

पॉलिसीधारक द्वारा लिखित अनुरोध पर किसी पॉलिसी वर्ष में एक बार फ्लेक्सी आय हितलाभ(हितलाभों) (जो पहले से नहीं निकाला गया हो) के शेष संचित मूल्य में से अधिकतम 75% निकाला जा सकता है। निकासी उपरांत शेष राशि ऊपर बताए गए अनुसार संचित होती रहेगी।

देय और न निकाले गए संचित फ्लेक्सी आय हितलाभ (यदि कोई हो) की शेष राशि मृत्यु या परिपक्वता या अभ्यर्पण पर, जो भी पहले हो, देय होगी।

पॉलिसीधारक द्वारा गारंटीड अभिवृद्धि अवधि के दौरान उत्तरजीविता हितलाभ विकल्प (अर्थात विकल्प । – नियमित आय हितलाभ से विकल्प ।। – फ्लेक्सी आय हितलाभ या इसके उलट) में परिवर्तन किया जा सकता है।

सी. परिपक्वता हितलाभ:

बीमित व्यक्ति के पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर, उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धि के साथ “परिपक्वता पर बीमा राशि” देय होगी।

जहाँ “परिपक्वता पर बीमा राशि” को निम्नांकित में मूल बीमा राशि या सारणीबद्ध एकल प्रीमियम के 1.25 गुना से जो अधिक हो, उसके रूप में परिभाषित किया गया है।

विकल्प ।। – फ्लेक्सी आय हितलाभ के अंतर्गत, उपरोक्त के अतिरिक्त देय और निकाले न गए फ्लेक्सी आय हितलाभ(हितलाभों) का कोई संचित मूल्य भी देय होगा।

डी. गारंटीड अभिवृद्धियाँ:

गारंटीड अभिवृद्धियाँ गारंटीड अभिवृद्धि अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में रू. 40 प्रति हजार मूल बीमा राशि की दर से उपार्जित होंगी। गारंटीड अभिवृद्धि अवधि की समाप्ति के बाद गारंटीड अभिवृद्धि उपार्जित नहीं होगी।

गारंटीड अभिवृद्धि अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष में गारंटीड अभिवृद्धि पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगी।

4. उपलब्ध विकल्प:

i. राइडर हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित दो वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं: पॉलिसीधारक द्वारा इन राइडरों को विस्तृत रुप से निम्न वर्णित पात्रता के अधीन चुना जा सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02):

एलआईसी का दुर्घटनाजन्य मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर पॉलिसी आरंभ होने के समय अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर वैकल्पिक राइडर के रूप में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के 70 वर्ष की आयु के होने के नजदीकी जन्म दिन पॉलिसी वर्षगांठ तक इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में, (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर), दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से देय होगी। दुर्घटना के कारण विकलांगता उत्पन्न होने पर (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा।

बी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02):

एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर पॉलिसी आरंभ होने के समय अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर वैकल्पिक राइडर के रूप में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ 35 वर्ष की अवधि या बीमित व्यक्ति की आयु के 75 वर्ष होने के निकटतम जन्मदिन को पॉलिसी वर्षगांठ, जो भी पहले हो, तक के लिए उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो राइडर अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म राइडर बीमा राशि के समान राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम, मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम्स के 30% से अधिक नहीं होंगे।

उपरोक्त प्रत्येक राइडर बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

ii. परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प:

निपटान विकल्प परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। पॉलिसीधारक /बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात कुल दावा राशि) दावे की कुल देय राशि के निश्चित मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतरालों पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
तिमाही	रु. 15,000/-
छमाही	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

यदि दावे की शुद्ध राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो दावा राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 वर्ष से कम नहीं वार्षिक प्रभावी दर होगी छमाही जी-सेक यिल्ड दर वर्ष मायनस 2%; जहां 10 वर्षीय छमाही जी-सेक यिल्ड दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी। तद्नुसार, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर 4.62% वार्षिक होगी।

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

ए. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प चुना है, उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को कम्यूट करना (एक साथ लेना) चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- भविष्य में देय सभी किस्तों का डिस्काउंटेड मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प को चुना गया था) - (पहले से अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

बी. भविष्य के किस्त भुगतानों को डिस्काउंट करने के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दर 10 वर्ष तक के लिए छमाही जी-सेक दर से वार्षिक प्रभावी दर होगी; जहां 10 वर्ष की छमाही जी-सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन, जिसके दौरान निपटान विकल्प को निपटाया गया था, के अनुसार होगी। तद्नुसार, 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भावी किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 6.62 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

सी. परिपक्कता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार होगा। और नामित व्यक्ति को इसमें कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

iii. मृत्यु हितलाभ को किस्तों में लेने का विकल्प:

यह एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चुनी हुई अवधि में किस्तों में मृत्यु लाभ प्राप्त करने का एक विकल्प है। पॉलिसीधारक द्वारा इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् शुद्ध दावा राशि) या तो निश्चत मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
तिमाही	रु. 15,000/–
छमाही	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

अगर दावे की शुद्ध राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावा राशि का भुगतान केवल एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 वर्ष से कम नहीं वार्षिक प्रभावी दर होगी छमाही जी–सेक यिल्ड दर मायनस 2%; जहां 10 वर्षीय छमाही जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तद्नुसार, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर 4.62% वार्षिक प्रभावी होगी.

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का प्रयोग करना, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक या बीमित व्यक्ति अगर वह वयस्क हो, पॉलिसी के चालू रहने के समय अपने जीवन काल में किस्त भुगतान की अवधि तथा कुल दावा राशि, जिसके लिए वह विकल्प का प्रयोग करना चाहता है, का उल्लेख करते हुए इस विकल्प को चुन सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

5. उदाहरण स्वरूप नमूना प्रीमियम:

ऑफ़लाइन बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए रु. 5,00,000 की मूल बीमा राशि के लिए उत्तरजीविता हितलाभ विकल्प और मानक जीवन दोनों के लिए लागू उदाहरण स्वरूप एकल प्रीमियम निम्नानुसार है :

(राशि रुपए में)

गारंटीड अभिवृद्धि अवधि	प्रवेश के समय आयु		
	10 वर्ष	30 वर्ष	50 वर्ष
8 वर्ष	4,64,150	4,64,150	4,64,150
12 वर्ष	3,61,875	3,61,875	3,61,875
16 वर्ष	2,85,725	2,86,725	3,00,800

उपरोक्त प्रीमियमों में कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।

6. छूटें:

i. उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूट:

उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूट बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु पर निर्भर करेगी और निम्नानुसार होगी :

प्रति रू. 1000 मूल बीमा राशि पर सारणीबद्ध प्रीमियम पर छूट				
प्रवेश के समय आयु		मूल बीमा राशि (रुपये में)		
	5,00,000 से 9,75,000	10,00,000 से 24,50,000	25,00,000 से 49,50,000	50,00,000 और उससे अधिक
0 से 20 वर्ष	0.00	11.00	19.00	21.00
21 से 40 वर्ष	0.00	9.00	15.00	18.00
41 से 55 वर्ष	0.00	6.50	12.00	13.00
56 से 65 वर्ष	0.00	5.00	9.00	10.00

ii. ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत छूट:

अभिकर्ताओं/बिचौलियों की किसी भी सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव के लिए सारणीबद्ध एकल प्रीमियम पर 2% की दर से छूट के लिए पात्रता होगी।

iii. विद्यमान पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए छूट :

इस योजना के अंतर्गत मृतक पॉलिसीधारक के नामिती या लाभार्थी सहित विभिन्न श्रेणी के मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए प्रति 1000 रुपए मूल बीमा राशि (बीएसए) के आधार पर सारणीबद्ध एकल प्रीमियम में छूट निम्नानुसार होगी :

पॉलिसीधारक की श्रेणी	छूटें	
यदि किसी मौजूदा पॉलिसीधारक के पास निगम की पॉलिसी है, जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो गई है और उसके द्वारा इस योजना को अपने जीवन और/या परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर खरीदा जाता है*; या	गारंटीड अभिवृद्धि अवधि (वर्षों में)	प्रति 1000 रुपये बीएसए पर
	7 से 9	रु. 0.80
	10 से 14	रु. 0.90
	15 से 17	रु. 1.00

यदि यह योजना निगम के मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी द्वारा खरीदी जाती है, जहाँ मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर है;		
या यदि यह योजना किसी मौजूदा पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी जाती है, जिसके पास निगम की एक चालू पॉलिसी है। (*परिवार के सदस्यों का अर्थ है दादा–दादी, नाना–नानी, माता–पिता, पति/पत्नी, बच्चे या पोते–पोतियाँ)		

7. अभ्यर्पण:

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा सकता है। पॉलिसी का अभ्यर्पण करने पर, निगम द्वारा निम्नांकित में से जो भी अधिक हो, अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

(ए) गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और किन्हीं उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों का अभ्यर्पण मूल्य; या

(बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य।

(ए) गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और किन्हीं उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों का अभ्यर्पण मूल्य :

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और किन्हीं उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों का अभ्यर्पण मूल्य निम्नानुसार होगा :

- **विकल्प I – नियमित आय हितलाभ**

  प्रथम तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान: गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य प्रदत्त एकल प्रीमियम का 75% होगा।

  उसके बाद : गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य अभ्यर्पण की तिथि तक देय और प्रदत्त नियमित आय हितलाभ, यदि कोई हो, को *घटाकर* प्रदत्त एकल प्रीमियम का 90% होगा।

- **विकल्प II – फ्लेक्सी आय हितलाभ**

  प्रथम तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान: गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य प्रदत्त एकल प्रीमियम का 75% होगा।

  उसके बाद : गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य अभ्यर्पण की तिथि तक देय और प्रदत्त फ्लेक्सी आय हितलाभ, यदि कोई हो, को *घटाकर* प्रदत्त एकल प्रीमियम का 90% होगा।

उपरोक्त संदर्भित एकल प्रीमियम में कोई कर, कोई अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि चुना गया हो, शामिल नहीं होगी।

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धि में प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीड अभिवृद्धियों और पॉलिसी वर्ष, जिसमें पॉलिसी का अभ्यर्पण किया गया है, के लिए पूर्ण महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर गारंटीड अभिवृद्धियाँ शामिल होंगी। अनुच्छेद 3डी में निर्दिष्ट गारंटीकृत अभिवृद्धियों पर विचार किया जाएगा।

किन्हीं उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों का अभ्ययर्पण मूल्य उपार्जित गारंटीड

अभिवृद्धियों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणक से गुणा की गई उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियाँ होंगी।

उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणकों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, जो पॉलिसी के अभ्यर्पण वाले पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे और नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार है :

उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक									
पॉलिसी वर्ष	गुणक	पॉलिसी वर्ष	गुणक	पॉलिसी वर्ष	गुणक	पॉलिसी वर्ष	गुणक	पॉलिसी वर्ष	गुणक
1	0.00%	**8**	7.16%	**15**	14.38%	**22**	21.59%	**29**	28.81%
2	0.00%	**9**	8.19%	**16**	15.41%	**23**	22.63%	**30**	29.84%
3	2.00%	**10**	9.22%	**17**	16.44%	**24**	23.66%	**31**	30.88%
4	3.03%	**11**	10.25%	**18**	17.47%	**25**	24.69%	**32**	31.91%
5	4.06%	**12**	11.28%	**19**	18.50%	**26**	25.72%	**33**	32.94%
6	5.09%	**13**	12.31%	**20**	19.53%	**27**	26.75%	**34**	33.97%
7	6.13%	**14**	13.34%	**21**	20.56%	**28**	27.78%	**35 और उससे ऊपर**	35.00%

(बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य

विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) की समीक्षा आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र संख्या: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से की जाएगी।

विकल्प ।। – फ्लेक्सी आय हितलाभ के अंतर्गत, उपरोक्तानुसार परिकलित अभ्यर्पण मूल्य के अतिरिक्त देय और निकाले न गए फ्लेक्सी आय हितलाभ(हितलाभों) का कोई भी संचित मूल्य भी देय होगा।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और हितलाभ देय नहीं होंगे।

8. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर ऋण निम्नलिखित के अधीन उपलब्ध होगा:

(ए) पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि से 3 महीने) या नि: शुल्क अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण लिया जा सकता है।

(बी) अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अनुमत अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

(i) **यदि गारंटीड अभिवृद्धि अवधि के दौरान ऋण लिया जाता है :**

गारंटीड अभिवृद्धि अवधि	अभ्यर्पण मूल्य का प्रतिशत
7 वर्ष से 10 वर्ष	60%
11 वर्ष से 14 वर्ष	50%
15 वर्ष से 17 वर्ष	40%

(ii) यदि गारंटीड अभिवृद्धि अवधि के बाद ऋण लिया जाता है :

विकल्प I: नियमित आय हितलाभ के लिए पात्र पॉलिसियों के लिए ऋण की अधिकतम राशि (जहाँ कोई पिछला ऋण बकाया नहीं है) इस तरह से निर्धारित की जाएगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज की राशि पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक नियमित आय हितलाभ के 50% से अधिक न हो, जो अधिकतम 75% अभ्यर्पण मूल्य के अधीन होगी।

विकल्प II: फ्लेक्सी आय हितलाभ के लिए पात्र पॉलिसियों के लिए ऋण की अधिकतम राशि (जहां पहले कोई ऋण बकाया न हो) इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि, पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक फ्लेक्सी आय हितलाभ के 50% से अधिक न हो, जो समर्पण मूल्य के अधिकतम 75% के अधीन हो। इसके अलावा, देय और निकाले न गए फ्लेक्सी आय हितलाभ के 50% तक ऋण भी स्वीकार्य है।

(सी) इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण की ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन तक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, गैर–सहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक की 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 9.5% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी ऋण पर लागू ब्याज निर्धारण का आधार परिवर्तनाधीन है।

(डी) विकल्प I के अंतर्गत, बकाया ऋण का ब्याज, यदि कोई हो, वार्षिक नियमित आय हितलाभ से वसूल किया जाएगा और शेष राशि देय होगी।

विकल्प II के अंतर्गत, बकाया ऋण का ब्याज, यदि कोई हो, वार्षिक फ्लेक्सी आय हितलाभ से उसकी देय तिथि पर वसूल किया जाएगा और शेष राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वाली 5.5% प्रति वर्ष की दर से संचित होगी जैसा कि अनुच्छेद 3.बी.(ii) में उल्लेख किया गया है।

(ई) विकल्प I के अंतर्गत: देय तिथियों पर ब्याज का भुगतान न करने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम पॉलिसीधारक को सूचित कर ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकारी होगा। अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि के बीच का अंतर, यदि कोई हो, पॉलिसीधारक को देय होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

विकल्प II के अंतर्गत : देय तिथियों पर ब्याज का भुगतान न करने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य और फ्लेक्सी आय हितलाभों के संचित शेष मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम पॉलिसीधारक को सूचित कर ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकारी होगा। समायोजन के बाद कोई भी अतिरिक्त राशि पॉलिसीधारक को देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

(एफ) निकासी के समय दावे की आय से बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

9. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि (मूल पॉलिसी और राइडरों के लिए, यदि कोई हो) अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

10. निशुल्क अवलोकन (फ्री लुक) अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियमों और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर, आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और हितलाभ, यदि कोई हो, के लिए), चिकित्सीय परीक्षण पर हुए व्ययों और स्टाम्प शुल्क प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई एकल प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

11. आत्महत्या का अपवर्जन:

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ हो) जोखिम आरंभ होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति का नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी भुगतान की गई कुल एकल प्रीमियम का 80% (यदि कोई हो तो टर्म एश्योरेंस राइडर प्रीमियम के अलावा किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियमों और राइडर प्रीमियमों को छोड़कर) या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, देय होगा। यह अनुभाग उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर आयु 8 वर्ष से कम हो और ऐसी स्थिति में 8 वर्ष से कम आयु के बीमित व्यक्ति के लिए लागू मृत्यु हितलाभ देय होगा।

12. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

13. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) अनुच्छेद 8 में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में;

या

डी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

ई) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

एफ) निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

जी) उपरोक्त अनुच्छेद 12 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

14. उदाहरण स्वरूप नमूना हितलाभ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ सीमा तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके। यह उदाहरण एजेंट/मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसियों के लिए मानक जीवन (चिकित्सीय, जीवनशैली और व्यवसाय की दृष्टि से) पर लागू होता है।

उदाहरण 1: विकल्प I – नियमित आय हितलाभ:

हितलाभ उदाहरण

वितरण चैनल:	**ऑफ़लाइन**
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	एबीसी
बीमित व्यक्ति का नाम:	

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत देय वर्ष–वार प्रीमियम और चालू पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को दर्शाता है।

पॉलिसी विवरण		
विकल्प	**I**	**नियमित आय हितलाभ**
मूल बीमा राशि	1,000,000	
गारंटीकृत अभिवृद्धि अवधि	10	
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम	एकल प्रीमियम	
मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में)* रु.	1,022,063	
परिपक्वता पर बीमा राशि रु.	1,022,063	

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	**राइडर [1]**	**कुल किस्त प्रीमियम**
जीएसटी के बिना एकल प्रीमियम	808,650.00		808,650.00
जीएसटी के साथ एकल प्रीमियम	808,650.00		808,650.00

टिप्पणी: जीएसटी दर समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार होगी.
वर्तमान में, यह छूट प्राप्त है।

प्रस्ताव संख्या:	
प्रस्तावक की आयु:	
बीमित व्यक्ति की आयु:	35

मूल योजना के तहत हितलाभ

(राशि रुपए में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)	एकल प्रीमियम[1]	गारंटीड अभिवृद्धि	गारंटीड हितलाभ				गैर–गारंटीकृत हितलाभ	अभ्यर्पण मूल्य देय
			नियमित आय हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य [2]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य [3]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	808650.00	40000	0	0	1062063	606488	709197	709197
2		80000	0	0	1102063	606488	763139	763139
3		120000	0	0	1142063	608888	821226	821226
4		160000	0	0	1182063	732633	883787	883787
5		200000	0	0	1222063	735905	951157	951157
6		240000	0	0	1262063	740001	1023686	1023686
7		280000	0	0	1302063	744949	1101785	1101785
8		320000	0	0	1342063	750697	1186033	1186033
9		360000	0	0	1382063	757269	1276765	1276765
10		400000	0	0	1422063	764665	1374519	1374519
11		400000	100000	0	1422063	768785	1373949	1373949
12		400000	100000	0	1422063	672905	1373437	1373437
13		400000	100000	0	1422063	577025	1373035	1373035
14		400000	100000	0	1422063	481145	1372599	1372599
15		400000	100000	0	1422063	385305	1372018	1372018
16		400000	100000	0	1422063	289425	1371473	1371473
17		400000	100000	0	1422063	193545	1370842	1370842
18		400000	100000	0	1422063	97665	1370136	1370136
19		400000	100000	0	1422063	1785	1369517	1369517
20		400000	100000	0	1422063	0	1368964	1368964
21		400000	100000	0	1422063	0	1368326	1368326
22		400000	100000	0	1422063	0	1367714	1367714
23		400000	100000	0	1422063	0	1366927	1366927
24		400000	100000	0	1422063	0	1366228	1366228
25		400000	100000	0	1422063	0	1365681	1365681
26		400000	100000	0	1422063	0	1364838	1364838
27		400000	100000	0	1422063	0	1364076	1364076
28		400000	100000	0	1422063	0	1363365	1363365
29		400000	100000	0	1422063	0	1362401	1362401
30		400000	100000	0	1422063	0	1361629	1361629
31		400000	100000	0	1422063	0	1360747	1360747
32		400000	100000	0	1422063	0	1359794	1359794

33		400000	100000	0
34		400000	100000	0
35		400000	100000	0
36		400000	100000	0
37		400000	100000	0
38		400000	100000	0
39		400000	100000	0
40		400000	100000	0
41		400000	100000	0
42		400000	100000	0
43		400000	100000	0
44		400000	100000	0
45		400000	100000	0
46		400000	100000	0
47		400000	100000	0
48		400000	100000	0
49		400000	100000	0
50		400000	100000	0
51		400000	100000	0
52		400000	100000	0
53		400000	100000	0
54		400000	100000	0
55		400000	100000	0
56		400000	100000	0
57		400000	100000	0
58		400000	100000	0
59		400000	100000	0
60		400000	100000	0
61		400000	100000	0
62		400000	100000	0
63		400000	100000	0
64		400000	100000	0
65		400000	0	1422063

***8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में, ऊपर प्रदर्शित मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद लागू होगी।**

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1422063	0	1358799	1358799
1422063	0	1357945	1357945
1422063	0	1356988	1356988
1422063	0	1355988	1355988
1422063	0	1354994	1354994
1422063	0	1353925	1353925
1422063	0	1352850	1352850
1422063	0	1351819	1351819
1422063	0	1350771	1350771
1422063	0	1349613	1349613
1422063	0	1348709	1348709
1422063	0	1347561	1347561
1422063	0	1346512	1346512
1422063	0	1345492	1345492
1422063	0	1344417	1344417
1422063	0	1343358	1343358
1422063	0	1342374	1342374
1422063	0	1341383	1341383
1422063	0	1340426	1340426
1422063	0	1339553	1339553
1422063	0	1338640	1338640
1422063	0	1337699	1337699
1422063	0	1336719	1336719
1422063	0	1335782	1335782
1422063	0	1335053	1335053
1422063	0	1334160	1334160
1422063	0	1333261	1333261
1422063	0	1332480	1332480
1422063	0	1331492	1331492
1422063	0	1330204	1330204
1422063	0	1328562	1328562
1422063	0	1326216	1326216
1422063	0	1422063	1422063

1. इसमें पॉलिसी के आरंभ में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. एकल प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, राइडरों के लिए भुगतान की गई प्रीमियम और वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।
3. गारंटीड अभिवृद्धि, गारंटीड अभिवृद्धि पीरियड के दौरान, हर पॉलिसी वर्ष के आखिर में जमा होंगे।

4. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र संख्या: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी।

इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

उदाहरण 2: विकल्प ।। – फ्लेक्सी आय हितलाभ:

हितलाभ उदाहरण

वितरण चैनल:	**ऑफ़लाइन**
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	एबीसी
बीमित व्यक्ति का नाम:	

प्रस्ताव संख्या:	
प्रस्तावक की आयु:	
बीमित व्यक्ति की आयु:	50

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत देय वर्ष-वार प्रीमियम और चालू पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को दर्शाता है।

पॉलिसी विवरण		
विकल्प	**II**	**फ्लेक्सी आय हितलाभ**
मूल बीमा राशि	1,000,000	
गारंटीकृत अभिवृद्धि अवधि	12	
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम	एकल प्रीमियम	
मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में)* रु.	1,000,000	
परिपक्वता पर बीमा राशि रु.	1,000,000	

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	**राइडर** [1]	**कुल किस्त प्रीमियम**
जीएसटी के बिना एकल प्रीमियम	717,250.00		717,250.00
जीएसटी के साथ एकल प्रीमियम	717,250.00		717,250.00

टिप्पणी: जीएसटी दर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार होगी.
वर्तमान में, यह छूट प्राप्त है।

मूल योजना के तहत हितलाभ

(राशि रुपए में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)	एकल प्रीमियम[1]	गारंटीड अभिवृद्धि	गारंटीड हितलाभ		गारंटीड हितलाभ		गैर-गारंटीकृत हितलाभ	अभ्यर्पण मूल्य देय
			नियमित आय हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य[2]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[3]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	717250.00	40000	0	0	1040000	537938	614388	614388
2		80000	0	0	1080000	537938	661240	661240
3		120000	0	0	1120000	540338	711704	711704
4		160000	0	0	1160000	650373	766058	766058
5		200000	0	0	1200000	653645	824574	824574
6		240000	0	0	1240000	657741	887580	887580
7		280000	0	0	1280000	662689	955430	955430
8		320000	0	0	1320000	668437	1028614	1028614
9		360000	0	0	1360000	675009	1107418	1107418
10		400000	0	0	1400000	682405	1192302	1192302
11		440000	0	0	1440000	690625	1283764	1283764
12		480000	0	0	1480000	699669	1382516	1382516
13		480000	100000	0	1480000	704613	1382606	1382606
14		480000	100000	0	1480000	609557	1382680	1382680
15		480000	100000	0	1480000	514549	1382620	1382620
16		480000	100000	0	1480000	419493	1382614	1382614
17		480000	100000	0	1480000	324437	1382534	1382534
18		480000	100000	0	1480000	229381	1382390	1382390
19		480000	100000	0	1480000	134325	1382350	1382350
20		480000	100000	0	1480000	39269	1382394	1382394
21		480000	100000	0	1480000	0	1382364	1382364
22		480000	100000	0	1480000	0	1382378	1382378
23		480000	100000	0	1480000	0	1382228	1382228
24		480000	100000	0	1480000	0	1382190	1382190
25		480000	100000	0	1480000	0	1382332	1382332
26		480000	100000	0	1480000	0	1382190	1382190
27		480000	100000	0	1480000	0	1382158	1382158
28		480000	100000	0	1480000	0	1382206	1382206
29		480000	100000	0	1480000	0	1382018	1382018
30		480000	100000	0	1480000	0	1382058	1382058
31		480000	100000	0	1480000	0	1382010	1382010

32		480000	100000	0	1480000	0	1381914	1381914
33		480000	100000	0	1480000	0	1381800	1381800
34		480000	100000	0	1480000	0	1381856	1381856
35		480000	100000	0	1480000	0	1381826	1381826
36		480000	100000	0	1480000	0	1381770	1381770
37		480000	100000	0	1480000	0	1381738	1381738
38		480000	100000	0	1480000	0	1381642	1381642
39		480000	100000	0	1480000	0	1381552	1381552
40		480000	100000	0	1480000	0	1381518	1381518
41		480000	100000	0	1480000	0	1381472	1381472
42		480000	100000	0	1480000	0	1381316	1381316
43		480000	100000	0	1480000	0	1381426	1381426
44		480000	100000	0	1480000	0	1381280	1381280
45		480000	100000	0	1480000	0	1381234	1381234
46		480000	100000	0	1480000	0	1381210	1381210
47		480000	100000	0	1480000	0	1381120	1381120
48		480000	100000	0	1480000	0	1381034	1381034
49		480000	100000	0	1480000	0	1381012	1381012
50		480000	0	1480000	1480000	0	1480000	1480000

***8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में, ऊपर प्रदर्शित मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद लागू होगी।**

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. एकल प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति भार, राइडरों के लिए भुगतान की गई प्रीमियम और वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।
3. गारंटीड अभिवृद्धि, गारंटीड अभिवृद्धि पीरियड के दौरान, हर पॉलिसी वर्ष के आखिर में जमा होंगे।
4. बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसीधारक पॉलिसी वर्ष के अंत में फ्लेक्सी आय हितलाभ का पात्र होगा।

   प्रत्येक फ्लेक्सी आय हितलाभ देय तिथि से लेकर निकासी या अभ्यर्पण या मृत्यु या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, पूर्ण महीनों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वाली 5.5% प्रति वर्ष की संचय दर पर आस्थगित और संचित होगा।

   पॉलिसीधारक द्वारा लिखित अनुरोध पर किसी पॉलिसी वर्ष में एक बार फ्लेक्सी आय हितलाभ(हितलाभों) के शेष संचित मूल्य में से अधिकतम 75% निकाला जा सकता है। (जिसे अभी तक निकाला नहीं गया है)। निकासी उपरांत शेष राशि ऊपर बताए गए अनुसार संचित होती रहेगी।

   देय और न निकाले गए संचित फ्लेक्सी आय हितलाभ (यदि कोई हो) की शेष राशि मृत्यु या परिपक्वता या अभ्यर्पण, जो भी पहले हो, पर देय होगी।
5. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।

   इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

15. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट: http://www.licindia.in) के माध्यम से ग्राहक–अनुकूल, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/परिवाद का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति को देख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई–मेल co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्युगत दावों का अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण कक्ष में जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर – (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करें।

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल करके

iii) इंटरनेट के माध्यम से https://bimabharosa.irdai.gov.in पर शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर तीव्र मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभाथियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का

दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2. धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय–समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।
आईआरडीएआई या इनके अधिकारी बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

"भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय :

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम,

जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या : 512